भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1489
29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि में महिलाओं को शामिल करना

1489. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंगः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार राजसहायता, ऋण, प्रशिक्षण, विस्तार सेवाओं आदि जैसी प्रमुख कृषि योजनाओं तक पहुँच के संबंध में लिंग-आधारित अलग-अलग आंकड़े एकत्रित और अनुरक्षित करती है;

(ख) यदि हाँ, तो, विशेष रूप से विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की महिला किसानों के संबंध में, पिछले तीन वर्षों के ऐसे आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि अधिकारों तक पहुँच में महिलाओं के सामने आने वाली बाधाओं का कोई आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कृषि में कृषकों और निर्णयकर्ताओं के रूप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से समर्पित घटक या योजनाएँ हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भूमि स्वामित्व, संस्थागत ऋण और बाजार संपर्कों तक महिलाओं की पहुँच में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): सरकार, स्कीम दिशानिर्देशों में मौजूदा पात्रता और शर्तों के अनुसार सब्सिडी, प्रशिक्षण, विस्तार सेवाओं के लिए प्रमुख कृषि स्कीमों तक पहुँच प्रदान करने हेतु कुछ लिंग-आधारित अलग-अलग आँकड़े एकत्रित और अनुरक्षित करती है।

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) स्कीम के अंतर्गत, महिला किसानों की भागीदारी और संसाधनों व लाभों तक पहुँच पर फोकस करते हुए लिंग-आधारित अलग-अलग आँकड़े एकत्र किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों (2022-2025) के लिए महिला लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आँकड़ा **अनुबंध-I** पर दिया गया है। आत्मा स्कीम, जो वर्तमान में 28 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों के 740 जिलों में कार्यान्वित है, महिला किसानों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करती है। आत्मा दिशानिर्देशों के अनुसार, न्यूनतम 30% संसाधन महिला किसानों और महिला विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित हैं।

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज) और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा कार्यान्वित केंद्रीय क्षेत्र कृषि-क्लिनिक और कृषि-व्यवसाय केंद्र (एसी और एबीसी) स्कीम, महिलाओं सहित योग्य ग्रामीण युवाओं को कृषि उद्यम स्थापित करने के लिए 45-दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण और

वित्तीय सहायता प्रदान करती है। महिला उम्मीदवार माता-पिता या पति के साथ ऋण के लिए सह-बाध्यकारी (को-ओब्लीगेट) विकल्प के साथ 44% सब्सिडी (व्यक्तिगत रूप से ₹20 लाख तक या समूह परियोजनाओं के लिए ₹1 करोड़ तक के ऋण के लिए) के लिए पात्र हैं। पिछले तीन वर्षों (2022-23 से 2024-25) के दौरान, 1,769 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया, महिलाओं द्वारा 759 कृषि उद्यम स्थापित किए गए और 114 महिलाओं को सब्सिडी प्रदान की गई।

ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण (एसटीआरवाई) के अंतर्गत, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अल्पकालिक (7-दिवसीय) व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक, मशरूम की खेती, बकरी पालन, जैविक खेती, डेयरी, फसलोपरांत तकनीक और जैव उर्वरक जैसे क्षेत्रों में कुल 20,831 महिलाओं को राज्यों में प्रशिक्षित किया गया है।

इनपुट डीलरों के लिए कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा (डीएईएसआई) एक वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम है, जिसे राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (समेती), कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इसका उद्देश्य इनपुट डीलरों को कृषि ज्ञान और विस्तार कौशल से लैस करना है। वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक, इस कार्यक्रम के तहत 2,853 महिला इनपुट डीलरों को प्रशिक्षित किया गया है।

मंत्रालय क्षेत्रीय-स्तर पर विस्तार कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए हैदराबाद, नीलोखेड़ी, आनंद और गुवाहाटी में चार विस्तार शिक्षण संस्थान (ईईआई) संचालित करता है। वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक, विस्तार शिक्षा, संचार और प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में ईईआई के माध्यम से कुल 7,279 महिला विस्तार अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। ये प्रयास क्षमता निर्माण, वित्तीय पहुँच और संस्थागत समर्थन के माध्यम से लैंगिक-समावेशी कृषि विकास को बढ़ावा देने की सरकार की व्यापक कार्यनीति का हिस्सा हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, वैज्ञानिक भंडारण सहित कृषि विपणन अवसंरचना के निर्माण हेतु एकीकृत कृषि विपणन स्कीम (आईएसएएम) के अंतर्गत 'कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई)' उप-स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। यह एक पूंजी निवेश, मांग-आधारित, ऋण-आधारित, बैक-एंडेड सब्सिडी स्कीम है। महिलाओं सहित पात्र लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रोमोटर्स, एफपीओ, पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 33.33% और मैदानी क्षेत्रों के लिए 25% सब्सिडी शामिल है। पिछले तीन वर्षों में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो में महिला किसानों सहित विशेष रूप से महिला उद्यमियों के लिए कार्यान्वित परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

आईसीएआर-केंद्रीय कृषि महिला संस्थान (आईसीएआर-सीआईडब्ल्यूए), भुवनेश्वर 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित एक जेंडर नॉलेज सिस्टम पोर्टल का रखरखाव करता है। वर्ष 2021-24 के दौरान, आईसीएआर-सीआईडब्ल्यूए और कृषि केंद्रों में महिलाओं पर एआईसीआरपी ने 13 राज्यों में 1,108 क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे 43,385 कृषक महिलाएं लाभान्वित हुईं।

सरकार देश के विभिन्न राज्यों में एकल-खिड़की कृषि ज्ञान, संसाधन और क्षमता विकास केंद्रों के अधिदेश के साथ कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) स्कीम का क्रियान्वयन कर रही है। केवीके महिला किसानों सहित सभी किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और नियमित रूप से महिला किसानों के लिए

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर प्रशिक्षण आयोजित करते हैं, जिसमें पोषण, मूल्य संवर्धन, मानव-श्रम में कमी, ग्रामीण शिल्प और महिला सशक्तिकरण जैसे विशिष्ट विषय शामिल हैं।

भूमि संसाधन विभाग के अंतर्गत भूमि विनियमन प्रभाग, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से भूमि स्वामित्व संबंधी आंकड़े एकत्र करता है। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संबंधित एमआईएस में ऐसे आंकड़ों की उपलब्धता के अधीन लिंग-आधारित भूमि स्वामित्व संबंधी आंकड़े (आरओआर) एकत्र किए जाते हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) ने महिला किसानों को कृषि मशीनरी प्रबंधन और कस्टम हायरिंग केंद्रों (सीएचसी) के संचालन के संबंध में विभिन्न स्कीमों, कृषि मशीनरी और उपकरणों, नवीनतम कृषि तकनीक के बारे में प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान करने के लिए बुधनी (मध्य प्रदेश), हिसार (हरियाणा), अनंतपुर (आंध्र प्रदेश) और बिश्वनाथ चरियाली (असम) में 4 कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (एफएमटीटीआई) स्थापित किए हैं। सभी 4 एफएमटीटीआई में कुल निर्धारित लक्ष्य में से 10% महिला किसानों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले तीन वर्षों 2022-23 से 2024-25 तक 4 एफएमटीटीआई में कुल 25,447 महिला किसानों को प्रशिक्षित किया गया है।

राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान (एनआईपीएचएम), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2023-24 से 2025 तक (आज तक) नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत महिला किसान सहित कुल 1125 महिला किसानों को प्रशिक्षित किया है।

(ग): आईसीएआर-सीआईडब्ल्यूए ने सहभागी अनुसंधान एवं विस्तार के माध्यम से पहचानी गई प्रमुख चुनौतियों पर अध्ययन किया है। ये चुनौतियाँ हैं: कृषि अधिकारों तक पहुँच में जागरूकता की कमी, सीमित गतिशीलता, सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ, उत्पादक संसाधनों और बाज़ारों तक अपर्याप्त पहुँच आदि।

(घ): महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराने हेतु 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली केंद्रीय क्षेत्र स्कीम 'नमो ड्रोन दीदी' को मंज़ूरी दी गई है। इस स्कीम का उद्देश्य कृषि उद्देश्यों (उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग) के लिए किसानों को किराये पर ड्रोन सेवाएँ प्रदान करने हेतु 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराना है।

आत्मा स्कीम जिला स्तर पर शासी निकाय और प्रबंधन समिति के साथ-साथ ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर किसान सलाहकार समिति (एफएसी) सहित विभिन्न स्तरों पर निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी पर ज़ोर देती है।

आईसीएआर-सीआईडब्ल्यूए और कृषि में महिलाओं पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी ऑन डब्लूआईए) कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान करने के लिए समर्पित योजनाएं हैं। संस्थान ने कृषि और संबद्ध गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए दो जेंडर रेस्पोंसिव विस्तार मॉडल अर्थात् मशरूम की खेती में सतत महिला उद्यमिता मॉडल (2एस2एम) और जेंडर रिस्पोंसीव इंटेग्रेटेड होमस्टीड एक्वा-हॉर्टिकल्चर (जीआरआईएचए) मॉडल विकसित किए हैं।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है जिसका क्रियान्वयन विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान, 2.58 करोड़ महिला किसानों को कृषि-पारिस्थितिकी और पशुधन प्रबंधन पद्धतियों में प्रशिक्षित किया गया, और 2.50 लाख कृषि/पशु सखियों को सामुदायिक संसाधन व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त, 503 कृषि सखियों को ड्रोन सखी के रूप में प्रशिक्षित किया गया, 70,021 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) महिलाओं को प्राकृतिक खेती में प्रशिक्षित किया गया, और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) स्कीम के तहत 800 महिला-स्वामित्व वाली उत्पादक कंपनियों को बढ़ावा दिया गया। पशुपालन विभाग ने 7,294 पशु सखियों को ए-हेल्प (पशुधन संसाधन व्यक्ति) के रूप में प्रशिक्षित और मान्यता दी है।

(ङ): दिनांक 24.07.2025 तक 10,000 एफपीओ स्कीम के अंतर्गत, 50% से अधिक महिला सदस्यों वाले 1976 एफपीओ, 75% से अधिक महिला सदस्यों वाले 1404 एफपीओ और 100% महिला सदस्यों वाले 1265 एफपीओ का गठन किया जा चुका है। इस स्कीम के अंतर्गत 36.90 लाख लाभार्थी किसान हैं, जिनमें से 14.50 लाख महिला लाभार्थी हैं।

संशोधित ब्याज अनुदान स्कीम (एमआईएसएस) के अंतर्गत, 100% केंद्र द्वारा वित्तपोषित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण 7% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर प्रदान किए जाते हैं, जिसमें वित्तीय संस्थानों को 1.5% ब्याज अनुदान (आईएस) और समय पर पुनर्भुगतान के लिए अतिरिक्त 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) शामिल है, जिससे ₹3 लाख तक के ऋणों के लिए प्रभावी दर घटकर 4% रह जाती है। संबद्ध गतिविधियों के लिए, सीमा ₹2 लाख है। महिला किसानों सहित सभी के लिए पहुँच बढ़ाने के लिए, बैंकों, राज्य/केंद्र सरकारों, आरबीआई, नाबार्ड आदि द्वारा आईईसी अभियानों और किसान ऋण पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जागरूकता पैदा की जा रही है। 1 जनवरी 2025 से ज़मानत-मुक्त ऋण सीमा भी ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दी गई है।

अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विभिन्न कृषि कार्यों में उपयोग के लिए विकसित लगभग 30 चिन्हित जेंडर-अनुकूल औज़ारों और उपकरणों की सूची, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पहले ही प्रचार-प्रसार के लिए भेजी जा चुकी है। कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) स्कीम के तहत महिला किसानों को मशीनरी पर लागत सब्सिडी के रूप में 50% वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जो सामान्य श्रेणी के किसानों की तुलना में 10% अधिक है। कृषि मशीनरी के व्यक्तिगत स्वामित्व के लिए, राज्य सरकारों को एसएमएएम के तहत आवंटित कुल धनराशि का 30 प्रतिशत महिला लाभार्थियों के लिए निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है।

आईसीएआर-सीआईडब्ल्यूए कृषि महिलाओं के बीच प्रौद्योगिकियों और सूचना तक बेहतर पहुंच के लिए जागरूकता पैदा करता है और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है, तथा आर्थिक स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने के लिए स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाली आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देता है।

अनुबंध-I

वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक आत्मा स्कीम के तहत लाभान्वित महिला किसानों का विवरण

क्रमांक	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष		
		2022-23	2023-24	2024-25
1.	आंध्र प्रदेश	6131	6499	461
2.	बिहार	59132	137451	41991
3.	छत्तीसगढ	23402	3548	9560
4.	गोवा	2789	4354	506
5.	गुजरात	98728	41122	29083
6.	हरियाणा	8927	5796	405
7.	हिमाचल प्रदेश	6596	18881	20168
8.	जम्मू एवं कश्मीर	7265	3568	19520
9.	झारखंड	11023	10214	11293
10.	कर्नाटक	75383	49865	56064
11.	केरल	47135	50796	18868
12.	महाराष्ट्र	113669	130912	119541
13.	मध्य प्रदेश	28897	64073	6272
14.	ओडिशा	22046	11597	37460
15.	पंजाब	6205	4973	2352
16.	राजस्थान	45698	2945	12933
17.	तेलंगाना	1344	93	1820
18.	तमिलनाडु	144596	148717	235255
19.	उत्तर प्रदेश	95566	152654	144896
20.	उत्तराखंड	12260	12716	15897
21.	पश्चिम बंगाल	97587	42058	92361
22.	असम	16010	13635	20457
23.	अरुणाचल प्रदेश	20092	6000	24257
24.	मणिपुर	5483	1170	8235
25.	मेघालय	6070	13055	12040
26.	मिजोरम	2060	922	1644
27.	नागालैंड	26043	18987	26932
28.	त्रिपुरा	2718	4383	14370
29.	सिक्किम	2289	2778	2779
30.	दिल्ली	0	0	157
31.	पुदुचेरी	2080	3009	1575
32.	अंडमान और निकोबार	3108	4542	3446
33.	लद्दाख	154	432	309
	कुल	**1000486**	**971745**	**992907**

अनुबंध-II

एएमआई (कृषि विपणन अवसंरचना)-महिला लाभार्थी 2022-23 से 2024-25 तक

क्रमांक	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता (एमटीमें)
1.	आंध्र प्रदेश	11	20581.69
2.	असम	5	17444.26
3.	बिहार	43	131714.15
4.	छत्तीसगढ	7	16735.57
5.	गोवा	3	0.00
6.	गुजरात	63	94760.98
7.	हरियाणा	49	165388.39
8.	कर्नाटक	28	11638.18
9.	केरल	2	653.72
10.	मध्य प्रदेश	222	883049.22
11.	महाराष्ट्र	141	370414.95
12.	ओडिशा	4	8874.83
13.	पंजाब	15	48130.81
14.	राजस्थान	20	74977.29
15.	तमिलनाडु	2	6388.14
16.	तेलंगाना	67	173992.57
17.	उत्तर प्रदेश	15	57985.56
18.	उत्तराखंड	20	81241.31
19.	पश्चिम बंगाल	2	1157.66
	कुल	**719**	**2165129.28**

*****